राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2692/2016

शिव सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर शहर।
3. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर शहर।
4. सतीश चन्द पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, एएसआई, जयपुर कमिश्नरेट, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.10.2016
आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम.महर्षि, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर वरिष्ठता सूची दिनांक 03.08.2016 को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के संबंध में अपास्त फरमाया जावे चूंकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठ है और वरिष्ठता को पुनः संशोधित किया जावे तथा अपीलार्थी को पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 30.10.1984 को जिला टोंक में हुई थी और बाद में उसे वर्ष 2006 में जयपुर स्थानान्तरित किया गया। अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया और रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 16 पर एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या

23 पर अंकित किया गया और तदुपरान्त अपीलार्थी जयपुर आयुक्तालय स्थानान्तरित किया गया। विभाग द्वारा पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2014–15 के लिए जयपुर आयुक्तालय की रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई, जिसके क्रम में दिनांक 26.07.2016 को उक्त पद के लिए योग्य एएसआई की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 166 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 167 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी ने योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु दिनांक 22.08.2016 को अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं जोडा गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम चयन सूची में क्रम संख्या 55 पर अंकित किया गया। उनका कथन है कि अंतिम योग्य एवं वरिष्ठता सूची दिनांक 03.08.2016 जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 161 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 146 पर अंकित किया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अपीलार्थी ने उक्त परीक्षा परिणाम की जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की, जिसमें अपीलार्थी ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक का चयन पुलिस उप निरीक्षक के पद पर किया गया। अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अनुरोध किया परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर वरिष्ठता सूची दिनांक 03.08.2016 को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के संबंध में अपास्त फरमाया जावे चूंकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठ है और वरिष्ठता को पुनः संशोधित किया जावे तथा अपीलार्थी को पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने पुलिस उप निरीक्षक के पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2014–15 के आयोजन हेतु आवेदन किया, जिसमें अस्थाई पात्रता/वरिष्ठता सूची दिनांक 26.07.2016 के द्वारा जारी कर दिनांक 29.07.2016 तक वरिष्ठता के संबंध में आक्षेप चाहे गये थे। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा वरिष्ठता सूची में संशोधन करने की आपत्ति प्रस्तुत की गई, परंतु अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई और नियम 1989 के नियम 36 के तहत स्थायी पात्रता/वरिष्ठता सूची जारी कर योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन कर दिनांक

22.08.2016 के द्वारा चयन सूची जारी की गई और चयन सूची जारी होने उपरांत अपीलार्थी ने दिनांक 22.09.2016 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु चयनित कर्मी प्रशिक्षणाधीन होने के कारण विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर दर्शाया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 23 पर दर्शाया गया। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है और सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अस्थायी योग्य एवं वरिष्ठता सूची आदेश दिनांक 26.07.2016 के द्वारा जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 166 पर एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 167 पर अंकित किया गया, इससे भी स्पष्ट प्रकट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है, परंतु फिर भी अपीलार्थी वरिष्ठता एवं योग्यात्मक परीक्षा के आधार पर अपीलार्थी को पुलिस उप निरीक्षक के पद पर चयन नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि आदेश दिनांक 22.08.2016 द्वारा अंतिम चयन सूची जारी उपरांत तथा चयन कर्मी प्रशिक्षणाधीन होने के कारण अपीलार्थी द्वारा चयन के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं है। विभाग द्वारा जारी अस्थायी वरिष्ठता एवं योग्य सूची दिनांक 28.07.2016 एवं सहायक उप निरीक्षक की चयन सूची के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठ कार्मिक है और प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में ऐसा कही उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी योग्यात्मक परीक्षा में असफल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वरिष्ठता में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठ है और विभाग द्वारा जारी पुलिस उप निरीक्षक के पद की चयन सूची दिनांक 22.08.2016 में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 55 पर अंकित है, परंतु अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करने

से वंचित रखा गया है, जो नियम एवं विधि के विपरीत है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी सहायक उप निरीक्षक की वरिष्ठता सूची एवं उप निरीक्षक के पद हेतु जारी पात्रता सूची में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठ होने के आधार पर उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध अपीलार्थी को नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे एवं अपीलार्थी को उस तिथी से समस्त पारिणामिक परिलाभ प्रदान किये जावे, जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य